(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
अपील : 38/2023
तारीख रजू : 15.09.2023 निर्णय दिनांक : 03.12.2024

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र प्रभुसिंह
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभुसिंह

जाति राजपूत, निवासी बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. नगर विकास न्यास भिवाडी, जिला अलवर जरिये अध्यक्ष
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड लैण्ड होल्ड बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार बहरोड वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ इंतकाल नंबर 3461 दिनांक 05.08.2013 आदेश तहसीलदार बहरोड क्रमांक/भू.अ. दिनांक 06.11.2012 की पालना में दर्ज व स्वीकार किया गया को मंसुख करने बाबत।

उपस्थित : श्री सुधीर शर्मा एड. – अपीलान्ट्स की ओर से।
पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 15.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दिनांक 05.08.2013 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रकरण में उभय पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आयें तथा सीधी बहस हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 2183 रकबा 0.94 है0. 2185 रकबा 0.89 है0. 2187/4974 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बर्डोद, तहसील बहरोड, जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी पर मिन अपीलाण्टान का कब्जा बुजुर्गानी समय से अरसा करीब 80–90 साल पूर्व बिना किसी रोक–टोक के चला आ रहा है व मौके पर हम अपीलाण्टान का कब्जा मौजूद है। आराजी मुतनाजा को गलत तरीके पर नायब तहसीलदार बहरोड ने ग्राम पचायत बर्डोद जरिये सरपंच, ग्राम पचायत समिति बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर के नाम इतकाल स 577 दिनाक 05.09.1995 को दर्ज व स्वीकार किया। जिस हुक्म के खिलाफ हम अपीलाण्टान ने अति० कलक्टर महोदय, अलवर के यहा अपील पेश की। जो अपील दिनांक 27.01.1996 को गलत तरीके पर खारिज की गई। जिस हुकम के खिलाफ हम अपीलाण्टान ने द्वितीय अपील अति० संभागीय आयुक्त जयपुर के यहा पेश की। जो दिनाक 08.01.1997 को गलत तरीके पर खारिज की। जिस हरदो आदेश के खिलाफ हम अपीलाण्टान ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने बअनुवान राजेन्द्र सिंह वगेरा प्रार्थीगण बनाम ग्राम पंचायत बर्डोद पेश की। जिसका निस्तारण दिनाक 04.06.2002 को किया गया व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने मिन अपीलाण्टान की निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनाक 08.01.1997 व अति० कलक्टर अलवर का निर्णय 27.01.1996 व नामान्तरण स 577 दिनाक 05.09.1995 नायब तहसीलदार बहरोड निरस्त किया गया व आराजी मुतनाजा को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक अंकित करने का आदेश पारित किया गया।

हम अपीलाण्ट्स तहत अदालत में पक्षकार नहीं थे व तहत अदालत के निर्णय (इंतकाल) से हम अपीलाण्ट्स के हकूक खातेदारी जायल होते है व तहत अदालत की आज्ञा से मिन अपीलाण्ट के हक हकूक जायल होकर खतरे में पडने का अंदेशा है। जिससे मिन अपीलाण्ट को तहत अदालत के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दी जावे। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 96 जा० दी० अलहेदा से पेश हैं। हम अपीलाण्टान तहत अदालत के निर्णय से एग्रीवड पर्सन है व हम अपीलाण्टान का कब्जा आराजी मुतनाजा पर अरसे दराज अरसा करीब 80–90 साल से बिला किसी

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

रोकटोक के चला आ रहा है, खसरा परिवर्तनशील संवत् 2057 एव लगान की रसीदो से हम अपीलाण्ट्स के बुजुर्गान का कब्जा आराजी मुतनाजा पर साबित है और पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.07.2009 के द्वारा आराजी मुतनाजा पर हम अपीलाण्टान का कब्जा माना है व तहत अदालत ने कार्यवाही धारा 91 अपने आदेश दिनांक 29.03.2005 के द्वारा विवादित भूमि का अपीलाण्ट्स के हक में नियमन करने की सिफारिश करते हुए धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को ड्रॉप करने का आदेश प्रदान किया है, व आराजी मुतनाजा हम अपीलाण्ट्स के नाम नियमन की कार्यवाही के लिए पत्रावली सक्षम अदालत के यहां भेजी जो विचाराधीन है। तहत अदालत ने गलत तरीके पर आराजी मुतनाजा का इतकाल रेस्पोडेण्टान के नाम दर्ज व स्वीकार किया है किन्तु तहत अदालत ने हम अपीलाण्ट्स को बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये आराजी मुतनाजा का इंतकाल रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करने में भारी भूल की है। हम अपीलाण्ट्स ने तहत अदालत की आज्ञा दिनाक 05.08.2013 के खिलाफ माननीय सभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील पेश की जो माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर ने उक्त अपील माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के श्रवण योग्य न होने के कारण दिनांक 29.06.2016 को खारिज कर दी। जिस हुक्म माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर दिनांक 29.06.2016 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी/एलआर/5819/2016/अलवर बअनुवान राजेन्द्र बनाम नगर विकास न्यास निगरानी दायर की। जो दिनांक 18.12.2019 को निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की। आराजी मुतनाजा पर हम अपीलाण्टान के बुजुर्गान का कब्जा राजस्थान टेनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व व आज तक लगातार हम अपीलाण्ट्स अपने बुजुर्गान के साथ काबिज दाखिल है व हम अपीलाण्टान को आराजी मुतनाजा बाबत हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके है लेकिन तहत अदालत ने गौर नहीं किया। आराजी मुतनाजा तहत अदालत में गलत तरीके पर रेस्पोडेण्टान के पक्ष में इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया है। आराजी मुतनाजा बाबत नियमन की कार्यवाही हम अपीलाण्ट्स के पक्ष में सक्षम अदालत में विचाराधीन है। यदि आराजी मुतनाजा हम अपीलाण्ट्स के पक्ष में नियमन हो गई तो हम अपीलाण्ट्स की बर्बादी का बाईस है। अंत में अपीलाण्ट ने अपील मंजूर फरमायी जाकर तजबीज अदालत मातहत आदेश दिनांक 05.08.2013 मंसुख फरमायी जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेण्टान ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है तथा राजस्व विभाग की अधिसुचना दिनांक 02.06.2009 के अनुसार नगर विकास न्यास भिवाड़ी की प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हित आरक्षित भूमि को छोड़कर शेष स्थानीय निकाय में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की समस्त राजकीय भूमि नगर विकास न्यास भिवाड़ी के नाम दर्ज करने के आदेश की पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश क्रमांक राजस्व/12/9902–13 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा भूमि नियमानुसार नगर विकास न्यास भिवाड़ी के नाम दर्ज करने के आदेश की पालना में तहत के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 3461 दिनांक 05.08.2013 विधिवत स्वीकार किया गया जो सही है। अपीलाण्ट के द्वारा अन्य न्यायालयों में भी चाराजाही हेतु अपील करने पर विभिन्न अपर न्यायालयों के द्वारा उनकी अपील खारिज की गई है। मौके पर भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम विधिवत राज्य सरकार के आदेश से दर्ज होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व तहत रिकार्ड का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है तथा राजस्व विभाग की अधिसुचना दिनांक 02.06.2009 की पालना में भूमि नियमानुसार नगर विकास न्यास भिवाड़ी के नाम दर्ज करने के आदेश की पालना में तहत के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 3461 दिनांक 05.08.2013 विधिवत स्वीकार किया गया जो सही है। वकील रेस्पोडेण्ट की बहस प्रकरण में पुर्ण रूप से चस्पा होना साबित होती है। इस प्रकार तहत के द्वारा पारित आदेश/कार्यवाही में कोई त्रुटि साबित नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़